मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक एफ 2-1/2013/नियम/चार भोपाल,दिनांक 11 फरवरी, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः- शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी एवं प्राप्त राजस्व को राज्य की संचित निधि में तत्काल जमा किये जाने के संबंध में।

--00--

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश कार्यपालन शासन के कार्य नियम के भाग-1 के नियम 11(एक)(ग) में यह उल्लेख है कि किसी भी रुप में राजस्व का कोई त्याग अंतरविलित हो, से संबंधित मामले वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किये बिना निर्णित नहीं किये जा सकेंगे।

2/ शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा राजस्व की दरों में कमी करने, किसी अन्य संस्थाओं को सौंपने संबेंधी आदि निर्णय लिये जा रहे हैं। इन निर्णयों के फलस्वरुप राज्य के राजस्व में कमी होना संभावित है। अतः शासन के सभी विभागों से अपेक्षा है कि इस तरह के निर्णय लिये जाने के पूर्व वित्त विभाग की सहमति अवश्यमेव प्राप्त की जाये।

3/ मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग-1 के नियम 4 में यह उल्लेख है कि शासन के पक्ष में जमा की गई धनराशियां मध्यप्रदेश कोषालय संहिता में दिये गये नियमों के अनुसार कोषालय अथवा बैंक में तत्काल जमा की जाना चाहियें। राजस्व उगाही के मामले में मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग-1 के नियम 29 में यह प्रावधान है कि "विभागीय नियंत्रण अधिकारियों का यह कर्त्तव्य है कि शासन को देय समस्त धनराशि नियमित रुप से तथा तत्परता से उगाही जा रही है तथा संचित निधि तथा लोक लेखें में जमा की जा रही है।"

4/ उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में शासन के ध्यान में यह तथ्य भी आया है कि विभागीय नियंत्रण अधिकारियों के द्वारा शासन के पक्ष में प्राप्त की गई राजस्व प्राप्तियों को तत्काल राज्य की संचित निधि में जमा नहीं किया जा रहा है।

5/ उपरोक्त दोनों स्थितियां वित्तीय नियमों के विपरीत हैं। अतः समस्त नियंत्रण अधिकारियों को यह निर्देश दिये जाते हैं कि राज्य शासन को प्राप्त होने वाला राजस्व तत्काल राज्य की संचित निधि में जमा करायें एवं राजस्व हेतु निर्धारित दरों में कमी बिना वित्त विभाग के अनुमोदन से ना की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मनीष रस्तोगी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 2-1/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 11 फरवरी, 2013

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(सुरेन्द्र नाथ शुक्ल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

I/Sunita
http/WWW.mp.gov.in/finance